प्रेस विज्ञप्ति

02.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूरत उप आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स मोबी टेक एवं अन्य के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए) 2002 के तहत 10.99 लाख रुपये की चल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी गांधीनगर द्वारा मेसर्स मोबी टेक के मालिक मिलिंद पटेल और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक षड्यंत्र आदि के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स मोबी टेक ने तत्कालीन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो चुका है) से 5 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा प्राप्त की और फिर इन निधियों को विभिन्न संस्थाओं में डायवर्ट करके गबन कर लिया, जिससे तत्कालीन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर को 3.12 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। ईडी द्वारा की गई जांच के दौरान यह स्थापित हुआ है कि ऋषित भारतकुमार शाह की साझेदारी फर्म मेसर्स सेल्यूशन कॉरपोरेशन ने मेसर्स मोबी टेक से अपराध की आय (पीओसी) प्राप्त की। तदनुसार ऋषित भारतकुमार शाह के बैंक खाते में बैंक बैलेंस के रूप में 10.99 लाख रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई है।

इससे पहले इस मामले में 11 लाख रुपये (लगभग) का अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किया गया था।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।